राजस्व वाद संख्या 145/2024
उनवान खमीशा बनाम खेताराम वगैरा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत	सहायक कलक्टर सेडवा	मुकाम	सेडवा
व इजलास	श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.		

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. खमीशा पुत्र सावण जाति मुसलमान निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. खेताराम पुत्र सदराम 2. तेजाराम पुत्र सदराम 3. प्रकाश पुत्र तुलछाराम 4. भंवराराम पुत्र तुलछाराम 5. हनुमानराम पुत्र तुलछाराम 6. सदराम पुत्र जालाराम 7. हरीराम पुत्र जालाराम जातियान सुथार निवासीगण सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 8. भैराराम पुत्र तुलछाराम 9. मोहनलाल पुत्र तुलछाराम जाति सुथार निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 10. फैजु पुत्र जानू जाति मुसलमान निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 11. रहमान पुत्र अमीन जाति मुसलमान निवासी आकल तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 12. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा धोरीमन्ना। 13. तहसीलदार सेड़वा।

वाद बाबत धारा 88, 188 RT Act.

मुकदमा नं. 145/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रूबरू **न्यायालय** बहाजरी **श्री भवानी शंकर वादी** अधिवक्ता, मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा तुरपानाडी, पटवार क्षेत्र शोभाला दर्शान, भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी के खाता संख्या नया 29 के खसरा संख्या 609 रकबा 13–0309 हैक्टैयर किस्म बारानी में ऐसानी द्वारा फेजू पुत्र जानू, रहमान पुत्र अमीन को एवं रहमान पुत्र अमीन द्वारा किए गए बेचान [illegible] नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में वादी का मालिकाना हक हकूक व मौके पर कब्जा काश्त होने से वादी [illegible] आराजी में सहखातेदार के साथ 1/2 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

राजस्व वाद संख्या 145/2024
उनवान खमीशा बनाम खेताराम वगैरा

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

बसूरत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 30/03/2026 को जारी की गई।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यह		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(2)

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या 145/2024
उनवान खमीशा बनाम खेताराम वगैरा

न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी– बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 145/2024

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. खमीशा पुत्र सावण जाति मुसलमान निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. खेताराम पुत्र सदराम 2. तेजाराम पुत्र सदराम 3. प्रकाश पुत्र तुलछाराम 4. भंवराराम पुत्र तुलछाराम 5. हनुमानराम पुत्र तुलछाराम 6. सदराम पुत्र जालाराम 7. हरीराम पुत्र जालाराम जातियान सुथार निवासीगण सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 8. भैराराम पुत्र तुलछाराम 9. मोहनलाल पुत्र तुलछाराम जाति सुथार निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 10. फैंजु पुत्र जानू जाति मुसलमान निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 11. रहमान पुत्र अमीन जाति मुसलमान निवासी आकल तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 12. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा धोरीमन्ना। 13. तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित अधिवक्तागण– वादी के वकील – श्री भवानी शंकर

अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act.

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:28 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक :– 30/03/2026

वादी की ओर से पेश वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 1[illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि "मौजा शौभाला दर्शान के मृतक संगार की खातेदारी का खेत खसरा संख्या

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

609 रकबा 80.10 बीघा का आया हुआ था, जिस पर संगार का कब्जा काश्त चला आ रहा था। संगार का वंश वृक्ष निम्नानुसार है–

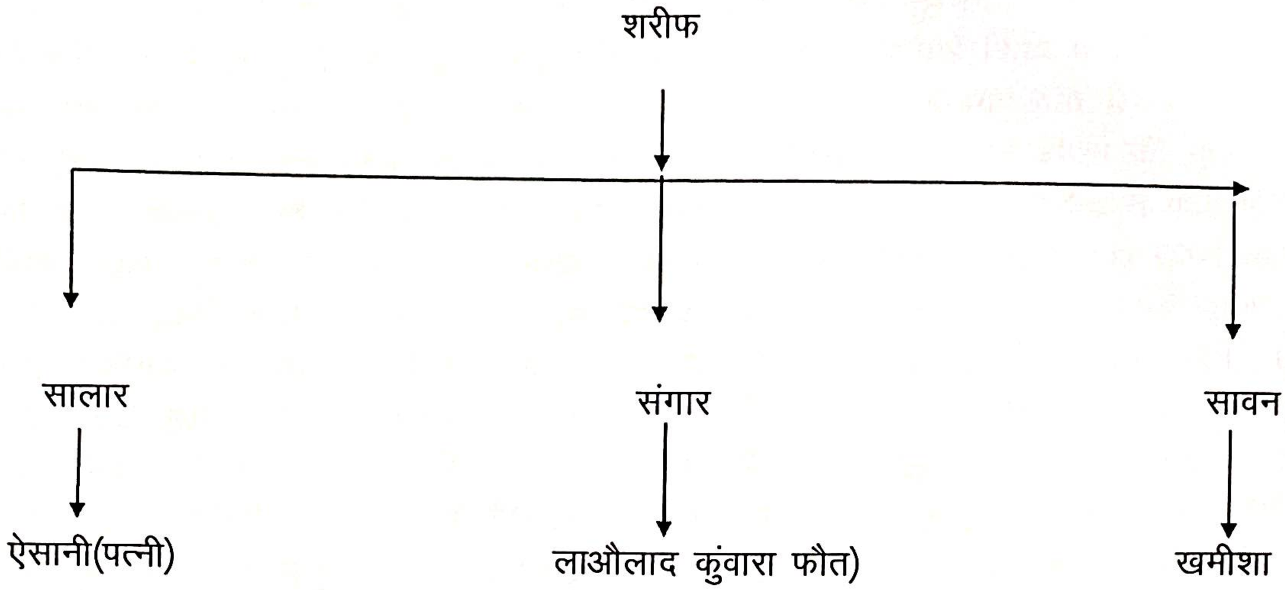

संगार लाऔलाद कुवांरा फौत हो गया। जिस पर संगार के खेत खसरा सं 609 रकबा 80.10 बीघा का नामान्तरकरण अकेले संगार के भाई सावन का पारित किया जाना चाहिए था लेकिन सावन के साथ त्रुटिवश ऐसानी के नाम भी संयुक्त रूप से नामांतकरण पारित कर दिया गया जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार भाई के लाऔलाद फौत होने से उसकी भूमि पर अधिकार एवं स्वामित्व केवल भाइयों का ही होता है, भाभी का कोई हक हिस्सा नहीं होता है इस प्रकार ऐसानी के नाम गलत् नामांतरकरण पारित किया गया। खतौनी बन्दोबस्त एवं जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। वादग्रस्त भूमि शोभाला दर्शन से नये राजस्व गांव तुरपा नाड़ी में आ गयी है। वादपत्र के मुताबिक ऐसानी ने उक्त त्रुटी का लाभ उठाते हुए खेत खसरा सं 609 रकबा 80.10 बीघा मे 1/2 हिस्से अर्थात 40.5 बीघा का बेचान दिनांक 30.09.1998 को फेजू पुत्र जानू जाति मुसलमान निवासी शोभाला दर्शन एवं रहमान पुत्र अमीन जाति मुसलमान निवासी आकल तहसील चौहटन को कर दिया। तत्पश्चात् रहमान ने 20 बीघा भूमि का बेचान तुलछाराम उर्फ तुलछीराम, हरिराम पुत्र जालाराम एवं सदराम पुत्र जालाराम जातियान् सुथार निवासी सोनड़ी तहसील चौहटन वालो को दिनांक 05.05.1999 को कर दिया। जिसका ज्ञान वादी को नही हो पाया। अर्सा कुछ दिन पूर्व श्रीमान सहायक कलक्टर (SDO) सेडवा में विचाराधीन प्रकरण फैजू बनाम खमीशा (मुकदमा सं 334/24) के पेशी दिनांक 10.10.2024 के नोटिस एवं वाद की नकल वादी को प्राप्त हुई तो वादी को ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त खेत खसरा सं 609 रकबा 13.0309 हैक्टेयर (80.10) बीघा भूमि वादी के अतिरिक्त फैजू एवं अन्य व्यक्तियो प्रतिवादी सं 3 से 10के नाम दर्ज है तब वादी ने तमामा र[illegible]ई एवं बेचान की नकले प्राप्त की है तो वादी के सर्वप्रथम इस बात की जानकारी हुई कि उक्त [illegible] मे गलत् त्रुटी का नाजायज फायदा उठाकर खेत खसरा सं 609 रकबा 13.0309 हैक्टेयर (80.10) बीघा में 1/2 हिस्से का बेचान ऐसानी ने प्रतिवादी संख्या 10 से 11 फैजू एवं रहमान को कर दिया है एवं रहमान ने 20.25 बीघा भूमि का बेचान तुलछाराम, हरिराम पुत्र जालाराम एवं सदराम पुत्र जालाराम को कर दिया जबकि ऐसानी का वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:28 IST
Reason: Self Attested

(2)

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

मे कोई भी हिस्सा नही बनता है, बल्कि वादग्रस्त खेत खसरा सं 609 मे संगार के फौत होने पर सम्पूर्ण हिस्सा वादी का बनता है। इस प्रकार ऐसानी द्वारा किए गए बेचान प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी होने से वादी उपरोक्त बेचान को अपने अधिकारो के विरूद्ध शून्य घोषित करवाकर 40.10 बीघा भूमि अपने नाम घोषित करवाने का अधिकारी है। इस हेतु घोषणा का वाद प्रस्तुत है। तुलछाराम के फौत होने पर उनके वारिशान प्रतिवादी सं 03 से 05 एवं 08 से 09 का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया है। वरजूदेवी पत्नि तुलछाराम एवं ऐसानी फौत हो गई है. इस कारण उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी खमीशा ने वादग्रस्त खेत खसरा सं 609 रकबा 80.10 बीघा मे से अपने हिस्से में से 1/5 हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी सं 01 खेताराम एवं प्रतिवादी सं 02 तेजाराम को कर दिया है, जिसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, लेकिन रेकर्डेड खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त खेत खसरा सं 609 रकबा 64 बीघा 8 विस्वा भूमि पर अकेले वादी का कब्जा चला आ रहा है, प्रतिवादी सं 03 से 11 का कोई कब्जा नहीं है, लेकिन प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल कर वादग्रस्त भूमि का अयंत्र बेचान करना चाहते है। इस कारण वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत है। वाद कारण संगार के लाऔलाद फौत होने पर वादग्रस्त खेत खसरा सं 609 रकबा 80 बीघा 10 विस्वा मे वादी के साथ मे ऐसानी का गलत् नामांतरकरण पारित किया गया। तत्पश्चात ऐसानी एवं रहमान द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान वाद में वर्णितानुसार भिन्न–भिन्न व्यक्तियो को किया गया एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल कर वादग्रस्त भूमि के बेचान की धमकियां दी।

अतः निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नांकित डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावेः–

1. कि मौजा तुरपानाडी तहसील सेडवा मे स्थित खेत खसरा सं 609 रकबा 13.0309 हैक्टेयर (80.10) बीघा भूमि में ऐसानी द्वारा फेजू पुत्र जानू, रहमान पुत्र जानू, एवं रहमान पुत्र जानू द्वारा किए गए बेचान को शून्य घोषित कर 40–5 बीघा भूमि वादी के नाम घोषित कर तमाम राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम दर्ज किया जावें।
2. वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 03 से 11 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वह वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें और न ही वादग्रस्त भूमि का बेचान या हस्तांतरण करें।''

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। वादी वकील ने वादी साक्ष्यों में **PW-1** में खमीशा पुत्र सावण जाति मुसलमान निवासी शोभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर का शपथ–पत्र, **PW-2** में भीखाराम पुत्र उदाराम जाति बिश्नोई निवासी सोनड़ी हाल निवासी शोभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर का शपथ–पत्र, **PW-3** कुम्भाराम पुत्र मंजीराम निवासी शोभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के साक्ष्य शपथ पत्र तथा लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

ई.एक्स.पी.01(प्रदर्श 01) खतैनी बन्दोबस्त मौजा शोभाला तहसील चौहटन खसरा संख्या 609 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श ई.एक्स.पी.02(प्रदर्श 02) मौजा शोभाला के खसरा संख्या 609 में संगार के फौतगी नामांतरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श ई.एक्स.पी.03(प्रदर्श 03)मौजा शोभाला दर्शान के खसरा संख्या 609 में ऐसानी द्वारा दिनांक 30.09.1998 को किए गए बेचान दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श ई. एक्स.पी.04(प्रदर्श 04) मौजा शोभाला दर्शान के खसरा संख्या 609 में रहमान द्वारा किए गए बेचान दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श ई.एक्स.पी.05(प्रदर्श 05) मौजा शोभाला दर्शान के खसरा संख्या 609 में सावण के फौतगी नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श ई.एक्स.पी.06(प्रदर्श 06) मौजा शौभाला दर्शान के खसरा संख्या 609 में तुलछाराम के फौतगी नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श ई.एक्स.पी.07(प्रदर्श 07) जमाबंदी(खेतट/खतोनी)(प्रतिलिपि) मौजा तुरपानाडी, पटवार क्षेत्र शोभाला दर्शान, भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी के खाता संख्या नया 29 के खसरा संख्या 609 की प्रति, प्रदर्श ई.एक्स.पी.08(प्रदर्श 08) मुस्लिम उत्तराधिकार विधि संबंधी न्यायिक दृष्टांत वादी द्वारा न्यायालय में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित (Exhibit) करवाए।

अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर वादी के अधिवक्ता ने बहस की। वादी अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से चिन्तन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण उपरांत, वादी का वाद संख्या 145/2024 उनवान खमीशा बनाम खेताराम वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः खेत मौजा तुरपानाडी, पटवार क्षेत्र शोभाला दर्शान, भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी के खाता संख्या नया 29 के खसरा संख्या 609 रकबा 13–0309 हैक्टैयर किस्म बारानी में ऐसानी द्वारा फेजू पुत्र जानू, रहमान पुत्र अमीन को एवं रहमान पुत्र अमीन द्वारा किए गए बेचान उक्त तथ्यों के आलोक में विधिसंगत नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में वादी का मालिकाना हक हकूक व मौके पर कब्जा काश्त होने से वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है।

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:28
Reason: SelfAttested

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO)